तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 43/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/75) बअनवान भाखरराम बनाम भागीरथराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल हो। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील रेस्पोडेंट्स को दिलाई गई। तत्पश्चात उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया किया माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2025 के जरिये वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये था। उसके पश्चात दिनांक 19.02.2025 को रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा रेस्पो. को अर्द्धनिर्मित टांकों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी जो टांके पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके है। हाल ही में रेस्पोडेंट संख्या 6 बाबुराम, रेस्पोडेंट संख्या 9 धनाराम एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 मांगीलाल द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए मौके पर खसरा नंबर 312, 1394 एवं 311/2 में पक्के मकान का निर्माण करवा रहे है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स को माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना में निर्माण करने से रोकने पर रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट को मरने व मारने की धमकी दी गई है। इस कारण न्याय हित में रेस्पोडेंट्स को विधि-विरुद्ध तरीके से निर्माण कार्य करने से रोका जाना आवश्यक है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे। जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने हक-हिस्से की भूमि में निर्माण किया जा रहा है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।	

	अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पोडेंट्स को अदालत हाजा द्वारा केवल अर्द्धनिर्मित टांकों के निर्माण की छूट प्रदान की गई थी, किंतु रेस्पोडेंट्स स्थगन आदेश के बावजूद मौके पर पक्का मकान निर्माण कर रहे है, जिससे उनके विभाजन के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 19.02.2025 के जरिये रेस्पोडेंट्स द्वारा सरकारी सहयोग से निर्मित किये जा रहे टांको को पूर्ण किये जाने की छूट प्रदान की गई थी। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि उक्त टांकों का निर्माण कार्य पुरा हो चुका है। वर्तमान में रेस्पोडेंट्स द्वारा बिना किसी सक्षम अनुमति मौके पर निर्माण कार्य करवाया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपील पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स द्वारा उक्त अर्द्धनिर्मित टांको के पूर्ण निर्माण की छूट के विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अदालत हाजा द्वारा भी उक्त अर्द्धनिर्मित टांको को पूर्ण किये जाने की छूट को निरंतर रखा गया है। लिहाजा उक्त छूट को निरंतर रखते हुए अपील इसी स्तर पर निस्तारित किया जाकर तहसीलदार लोहावट को स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करते हुए उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा। लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उक्त अर्द्धनिर्मित टांको को पूर्ण किये जाने की छूट को निरंतर रखते हुए मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष अदालत हाजा के आदेश दिनांक 14.02.2025 के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी के मौके एवं	

	राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा निर्माण कार्य नहीं करे। साथ तहसीलदार लोहावट को निर्देश दिये जाते है कि वह अदालत हाजा के स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	